न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :. **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1073–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–2–2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला गुना प्रकरण कमांक 7/निगरानी/2010–11.

1– लालचन्द पुत्र नन्नूलाल मेर
2– छोटेलाल पुत्र नन्नूलाल मेर
3– कोमल पुत्र नन्नूलाल मेर
4– अनूप पुत्र नन्नूलाल मेर
निवासीगण ग्राम रूठियाई
तहसील राघौगढ़ जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– बाबूलाल पुत्र प्रभुलाल मीना
निवासी ग्राम बेरखेड़ी काशी नगर रूठियाई
तहसील राघौगढ़ जिला गुना
2– मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी,अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक,अनावेदक कमांक 1
श्री एच.के. अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 15/9/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश 26–2–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर, गुना के समक्ष पटवारी द्वारा नक्शे में की गई, फर्जी इन्द्राज के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/निगरानी/2010–11 दर्ज कर दिनांक 26–2–2013 को आदेश पारित कर निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पटवारी द्वारा त्रुटिपूर्ण बटान डालकर आवेदकगण की भूमि सर्वे क्रमांक 26 तथा सर्वे क्रमांक 27 में से 60 फीट चौड़ी रोड निकाले जाने के कारण भूमि दो भागों में विभक्त हो गई है, किन्तु पटवारी द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 को लाभ देने के उद्देश्य से आवेदकगण की भूमि सर्वे क्रमांक 26 के उत्तर दिशा में 25/1 के स्थान पर 25/5 दर्ज कर दिया गया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नक्शा संशोधन का अधिकार कलेक्टर को प्राप्त है । यह भी कहा गया कि पूर्व में बटान नहीं हुआ है, आवेदक की भूमि सड़क के उस पार है, उस पर दूसरा नम्बर 25/5 डालकर आवेदकगण की भूमि का सर्वे क्रमांक पीछे कर दिया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में सीमांकन आवेदक का हुआ है और संहिता की धारा 145 के अन्तर्ग कार्यवाही प्रारंभ की गई, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने उसे भी ड्राप कर दिया और पूर्व सीमांकन का परीक्षण का आदेश अवैधानिक रूप से पारित किया । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक को आवेदकगण की भूमि का सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि पटवारी ने व्यवहार न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 42–ए/2011 में दिये गये अपने कथन में स्वीकार किया है कि नया नक्शा पुराने नक्शे से भिन्न है तथा पुराने नक्शे में जिस स्थान पर 25/1 अंकित है, उस स्थान पर 25/5 नये नक्शे में अंकित है । तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 16 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 ने जब भूमि क्रय की थी, तभी से नक्शे की स्थिति सही है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी आवेदकगण को कोई राहत नहीं दी गई है । अतः निगरानी में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है, जिसे स्थिर रखा जाये ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व नक्शे को अद्यतन रखने का दायित्व राजस्व अधिकारियों का है, और यदि नक्शे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, तो तत्समय संशोधित करने का दायित्व भी राजस्व अधिकारियों का है, इस वैधानिक स्थिति पर अपर कलैक्टर द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाकर आदेश पारित किया गया है । अपर कलेक्टर का यह विधिक दायित्व था कि वे विधिवत् जांच कराकर रिपोर्ट प्राप्त करते तथा उस पर विचार कर गुणदोष पर आदेश पारित करते परंतु इस प्रकार की कार्यवाही भी की जाना अपर कलेक्टर के प्रकरण से परिलक्षित नहीं होती है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर, प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि प्रकरण में विधिवत् जांच कराई जाकर, रिपोर्ट प्राप्त की जाये और उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, यदि आवश्यकता हो तो नक्शे में संशोधन किया जाकर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया जाये ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–2–2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के प्ररिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर